ओषधि और प्रसाधन सामग्री (संशोधन) अधिनियम, 2008

(2008 का अधिनियम संख्यांक 26)

[5 दिसम्बर, 2008]

**ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940
का और संशोधन
करने के लिए
अधिनियम**

भारत गणराज्य के उनसठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम ओषधि और प्रसाधन सामग्री (संशोधन) अधिनियम, 2008 है । संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे:

परन्तु इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और ऐसे किसी उपबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रतिनिर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस उपबंध के प्रारंभ के प्रतिनिर्देश है ।

नई धारा 17ङ का अंतःस्थापन।

2. ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) धारा 17घ के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:— 1940 का 23

अपमिश्रित प्रसाधन सामग्रियां।

"17ङ. इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए, किसी प्रसाधन सामग्री को अपमिश्रित समझा जाएगा,—

(क) यदि वह पूर्णतः या भागतः किसी गंदे, गलित या विघटित पदार्थ से बनी है; या

(ख) यदि वह अस्वच्छ परिस्थितियों में तैयार की गई, पैक की गई या भंडार में रखी गई है जिससे वह गंदगी से संदूषित हो गई हो या जिससे वह स्वास्थ्य के लिए हानिकर हो गई हो; या

(ग) यदि उसका पात्र पूर्णतः या भागतः किसी विषैले या हानिकारक पदार्थ से बना हो, जो उसकी अंतर्वस्तुओं को स्वास्थ्य के लिए हानिकर बना दे; या

(घ) यदि केवल रंजन के प्रयोजनों के लिए उसमें ऐसा रंग है या अंतर्विष्ट है जो विहित रंग से भिन्न है; या

(ङ) यदि उसमें कोई ऐसा अपहानिकर या विषैला पदार्थ अंतर्विष्ट है जो उसे स्वास्थ्य के लिए हानिकर बना दे; या

(च) यदि उसके साथ कोई पदार्थ मिलाया गया हो जिससे उसकी क्वालिटी या सामर्थ्य घट जाए।"।

धारा 18 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 18 के खंड (क) में उपखंड (ii) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(ii) कोई ऐसी प्रसाधन सामग्री जो मानक क्वालिटी की नहीं है या मिथ्या छाप वाली, अपमिश्रित या नकली है;"।

धारा 26क का संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धारा 26क में, "वितरण का प्रतिषेध कर सकेगी" शब्दों के स्थान पर, "वितरण को विनियमित, निर्बंधित या प्रतिषिद्ध कर सकेगी" शब्द रखे जाएंगे।

नई धारा 26ख का अंतःस्थापन।

5. मूल अधिनियम की धारा 26क के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

लोकहित में ओषधि के विनिर्माण आदि को विनियमित या निर्बंधित करने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति।

"26ख. इस अध्याय के किसी अन्य उपबंध पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि महामारी या प्राकृतिक विपत्तियों के कारण उद्भूत आपात स्थिति की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए कोई ओषधि आवश्यक है और लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसी ओषधि के विनिर्माण, विक्रय या वितरण को विनियमित या निर्बंधित कर सकेगी।"।

धारा 27 का संशोधन।

6. मूल अधिनियम की धारा 27 में,—

(i) खंड (क) में,—

(अ) "धारा 17ख के अधीन नकली समझी गई है या जिससे" शब्दों, अंकों और अक्षर के स्थान पर, "धारा 17ख के अधीन नकली समझी गई है और जिससे" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(आ) "कारावास से जिसकी अवधि पांच वर्ष से कम न होगी किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो दस हजार रुपए से

कम न होगा दण्डनीय होगा" शब्दों के स्थान पर "कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष से कम न होगी किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी दंडनीय होगा और जुर्माने का भी, जो दस लाख रुपए या अधिहृत ओषधि के मूल्य का तीन गुना, इनमें से जो भी अधिक हो, से कम का न होगा, दायी होगा" शब्द रखे जाएंगे ;

(इ) निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

'परन्तु इस खंड के अधीन दोषसिद्ध व्यक्ति पर अधिरोपित और उससे वसूल किया गया जुर्माना प्रतिकर के रूप में उस व्यक्ति को संदत्त किया जाएगा जिसने इस खंड में निर्दिष्ट अपमिश्रित या नकली ओषधियों का उपयोग किया था:

परन्तु यह और कि जहां इस खंड में निर्दिष्ट अपमिश्रित या नकली ओषधियों के उपयोग से ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, जिसने ऐसी ओषधियों का उपयोग किया था, वहां इस खंड के अधीन दोषसिद्ध व्यक्ति पर अधिरोपित और उससे वसूल किया गया जुर्माना ऐसे व्यक्ति के नातेदार को संदत्त किया जाएगा जिसकी इस खंड में निर्दिष्ट अपमिश्रित या नकली ओषधियों के उपयोग के कारण मृत्यु हुई थी ।

स्पष्टीकरण—दूसरे परन्तुक के प्रयोजनों के लिए, "नातेदार" पद से निम्नलिखित अभिप्रेत है—

(i) मृतक व्यक्ति का पति या पत्नी; या

(ii) अवयस्क धर्मज पुत्र और अविवाहित धर्मज पुत्री तथा विधवा माता; या

(iii) अवयस्क पीड़ित व्यक्ति के माता-पिता; या

(iv) मृतक व्यक्ति की मृत्यु के समय उसके उपार्जन पर पूर्ण रूप से आश्रित ऐसा पुत्र या पुत्री, जिसने अठारह वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है; या

(v) निम्नलिखित में से कोई व्यक्ति यदि वह मृतक व्यक्ति की मृत्यु के समय उसके उपार्जन पर, पूर्णतः या भागतः, आश्रित है,—

(क) माता-पिता; या

(ख) अवयस्क भाई या अविवाहित बहन; या

(ग) विधवा पुत्रवधू; या

(घ) विधवा बहन; या

(ङ) पूर्व मृत पुत्र की अवयस्क संतान; या

(च) ऐसी पूर्व मृत पुत्री की अवयस्क संतान जहां संतान के माता-पिता में से कोई जीवित नहीं है; या

(छ) दादा-दादी, यदि ऐसे सदस्य के माता या पिता में से कोई जीवित नहीं हैं;';

(ii) खंड (ख) में,—

(अ) "जिसकी अवधि एक वर्ष से कम न होगी किन्तु जो तीन वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए से कम न होगा" शब्दों के स्थान पर "जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम न होगी किन्तु जो पांच वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो एक लाख रुपए या अधिहृत ओषधियों के मूल्य के तीन गुना, इनमें से जो भी अधिक हो, से कम का न होगा" शब्द रखे जाएंगे;

(आ) परन्तुक में, "एक वर्ष से कम के कारावास का और पांच हजार रुपए से कम के जुर्माने का" शब्दों के स्थान पर "तीन वर्ष से कम के कारावास का और एक लाख रुपए से कम के जुर्माने का" शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) खंड (ग) में,—

(अ) "जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम न होगी किन्तु जो पांच वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए से कम न होगा" शब्दों के स्थान पर "जिसकी अवधि सात वर्ष से कम न होगी किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो तीन लाख रुपए या अधिहृत ओषधियों के मूल्य के तीन गुना, इनमें से जो भी अधिक हो, से कम का न होगा" शब्द रखे जाएंगे;

(आ) परन्तुक में, "तीन वर्ष से कम अवधि के कारावास का जो एक वर्ष से कम अवधि का न हो" शब्दों के स्थान पर "सात वर्ष से कम अवधि के कारावास का जो तीन वर्ष से कम अवधि का न हो और एक लाख रुपए से कम के जुर्माने का" शब्द रखे जाएंगे ;

(iv) खंड (घ) में, "और जुर्माने से" शब्दों के स्थान पर, "और जुर्माने से, जो बीस हजार रुपए से कम का न होगा," शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 27क का संशोधन।

7. मूल अधिनियम की धारा 27क के खंड (i) और खंड (ii) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात्:—

(i) किसी ऐसी प्रसाधन सामग्री का, जो धारा 17घ के अधीन नकली या धारा 17ङ के अधीन अपमिश्रित समझी गई है, विक्रयार्थ या वितरणार्थ विनिर्माण करेगा या विक्रय करेगा या स्टाक रखेगा या विक्रयार्थ प्रदर्शित करेगा या प्रस्थापित करेगा, वह कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से जो पचास हजार रुपए या अधिहृत प्रसाधन सामग्री के मूल्य के तीन गुना, इनमें से जो भी अधिक हो, से कम न होगा, दंडनीय होगा;

(ii) किसी ऐसी प्रसाधन सामग्री का जो खंड (i) में निर्दिष्ट प्रसाधन सामग्री से भिन्न है, इस अध्याय या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम के उपबंधों के उल्लंघन में विक्रयार्थ या वितरणार्थ विनिर्माण करेगा या विक्रय करेगा या स्टॉक रखेगा या विक्रय के लिए प्रदर्शित करेगा या प्रस्थापित करेगा, वह कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो बीस हजार रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से, दंडनीय होगा।

धारा 28 का संशोधन।

8. मूल अधिनियम की धारा 28 में, "जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा अथवा दोनों से" शब्दों के स्थान पर "जुर्माने से, जो बीस हजार रुपए से कम का न होगा या दोनों से" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 28क का संशोधन।

9. मूल अधिनियम की धारा 28क में, "जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से" शब्दों के स्थान पर "जुर्माने से, जो बीस हजार रुपए से कम का न होगा या दोनों से" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 29 का संशोधन।

10. मूल अधिनियम की धारा 29 में "पांच सौ रुपए" शब्दों के स्थान पर, "पांच हजार रुपए" शब्द रखे जाएंगे।

धारा 30 का संशोधन।

11. मूल अधिनियम की धारा 30 में,—

(क) उपधारा (1) में,—

(i) खंड (क) में,—

(अ) "जिसकी अवधि दो वर्ष से कम न होगी किन्तु जो छह वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो दस हजार रुपए से कम न होगा" शब्दों के स्थान पर "जिसकी अवधि सात वर्ष से कम न होगी किन्तु जो दस वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो दो लाख रुपए से कम का न होगा" शब्द रखे जाएंगे;

(आ) परन्तुक में "दो वर्ष से कम अवधि के कारावास का और दस हजार रुपए से कम के जुर्माने का" शब्दों के स्थान पर "सात वर्ष से कम अवधि के कारावास का और एक लाख रुपए से कम के जुर्माने का" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) खंड (ख) में, "जिसकी अवधि छह वर्ष से कम की न होगी किन्तु जो दस वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो दस हजार रुपए से कम न होगा" शब्दों के स्थान पर, "जिसकी अवधि दस वर्ष से कम की न होगी किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो तीन लाख रुपए से कम न होगा" शब्द रखे जाएंगे;

(iii) खंड (ग) में, "दस हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर, "पचास हजार रुपए" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उपधारा (2) में "जो दस वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से अथवा दोनों से दंडनीय होगा" शब्दों के स्थान पर, "जो दो वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से जो दस हजार रुपए से कम का न होगा अथवा दोनों से, दंडनीय होगा" शब्द रखे जाएंगे।

धारा 32 का संशोधन।

12. मूल अधिनियम की धारा 32 में, उपधारा (1) और उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात्:—

"(1) इस अध्याय के अधीन कोई अभियोजन निम्नलिखित द्वारा संस्थित किए जाने के सिवाय संस्थित नहीं किया जाएगा—

(क) निरीक्षक; या

(ख) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार का कोई ऐसा राजपत्रित अधिकारी जिसे केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा, लिखित रूप में, इस निमित्त उस सरकार द्वारा किए गए साधारण या विशेष आदेश द्वारा, प्राधिकृत किया गया हो ; या

(ग) व्यथित व्यक्ति; या

(घ) मान्यताप्राप्त उपभोक्ता संगम, चाहे ऐसा व्यक्ति उस संगम का सदस्य है या नहीं ।

(2) इस अधिनियम में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, सेशन न्यायालय से अवर कोई न्यायालय इस अध्याय के अधीन दंडनीय किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा ।"।

नई धारा 32ख का अंतःस्थापन ।

13. मूल अधिनियम की धारा 32क के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

कतिपय अपराधों का शमन किया जाना ।

1974 का 2

"32ख. (1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (1) के खंड (ख), धारा 28 और धारा 28क के अधीन दंडनीय किसी अपराध का (चाहे वह किसी कंपनी या उसके किसी अधिकारी द्वारा किया गया हो), जो केवल कारावास से और जुर्माने से भी, दंडनीय अपराध नहीं है, किसी अभियोजन के संस्थित होने से पूर्व या उसके

पश्चात् केन्द्रीय सरकार द्वारा या किसी राज्य सरकार द्वारा या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा, उस सरकार के खाते में ऐसी रकम के संदाय पर, जो वह सरकार इस निमित्त बनाए गए नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट करे, शमन किया जा सकेगा:

परन्तु किसी भी दशा में, ऐसी रकम जुर्माने की उस अधिकतम रकम से अधिक नहीं होगी जो इस प्रकार शमन किए गए अपराध के लिए इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित की जा सकेगी:

परन्तु यह और कि पश्चात्वर्ती अपराधों के मामलों में वह अपराध शमनीय नहीं होगा।

(2) जब किसी अभियुक्त को विचारण के लिए सुपुर्द किया गया है या जब उसे दोषसिद्ध किया गया है और कोई अपील लंबित है, तब अपराध का शमन, यथास्थिति, ऐसे न्यायालय जिसे, वह सुपुर्द किया गया है या जिसके समक्ष अपील सुनी जानी है, की इजाजत के बिना अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(3) जहां किसी अपराध का शमन उपधारा (1) के अधीन किया जाता है वहां, यथास्थिति, कोई कार्यवाही या आगे की कार्यवाही इस प्रकार शमन किए गए अपराध की बाबत अपराधी के विरुद्ध नहीं की जाएगी और अपराधी यदि अभिरक्षा में है तो उसे तुरन्त छोड़ दिया जाएगा।"।

धारा 33 का संशोधन।

14. मूल अधिनियम की धारा 33 की उपधारा (2) में,—

(i) खंड (घघ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(घघक) धारा 17ङ के खंड (घ) के अधीन उस रंग या उन रंगों को विहित कर सकेंगे जो रंजन के प्रयोजनों के लिए किसी प्रसाधन सामग्री में हों या अंतर्विष्ट हो सकेंगे;";

(ii) खंड (त) के अंत में आए शब्द "और" का लोप किया जाएगा;

(iii) खंड (थ) के अंत में, "और" शब्द अंतःस्थापित किया जाएगा;

(iv) खंड (थ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(द) ऐसी राशि का उपबंध कर सकेंगे जो धारा 32ख के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।"।

धारा 33झ का संशोधन।

15. मूल अधिनियम की धारा 33झ में,—

(क) उपधारा (1) में,—

(i) खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(क) किसी आयुर्वेदिक, सिद्ध या यूनानी ओषधि का

(i) जो धारा 33ङ के अधीन मिथ्या छाप वाली समझी गई है,

(ii) जो धारा 33ङङ के अधीन अपमिश्रित समझी गई है, या

(iii) धारा 33ङङग के अधीन यथा अपेक्षित विधिमान्य अनुज्ञप्ति के बिना या उसकी किसी शर्त के अतिक्रमण में,

विक्रयार्थ या वितरणार्थ विनिर्माण करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो बीस हजार रुपए या अधिहृत ओषधियों के मूल्य का तीन गुना, इनमें से जो भी अधिक हो, से कम का नहीं होगा, दंडनीय होगा;";

(ii) खंड (ख) में "पांच हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर, उन दोनों स्थानों पर जहां वे आए हैं, "पचास हजार रुपए या अधिहृत ओषधियों के मूल्य का तीन गुना, इनमें से जो भी अधिक हो" शब्द रखे जाएंगे;

(iii) खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(ग) किसी ऐसी आयुर्वेदिक, सिद्ध या यूनानी ओषधि का, जो धारा 33ङङघ के अधीन जारी की गई किसी अधिसूचना के उपबंधों के उल्लंघन में पाई गई है, विक्रयार्थ या वितरणार्थ विनिर्माण करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो पचास हजार रुपए या अधिहृत ओषधियों के मूल्य के तीन गुना, इनमें से जो भी अधिक हो, तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।";

(ख) उपधारा (2) में "जो तीन मास तक का हो सकेगा और जुर्माने से जो पांच हजार रुपए से कम का न होगा, दंडनीय होगा," शब्दों के स्थान पर "जो छह मास तक का हो सकेगा और जुर्माने से जो दस हजार रुपए से कम न होगा, दंडनीय होगा" शब्द रखे जाएंगे।

धारा 33ञ का संशोधन।

16. मूल अधिनियम की धारा 33ञ में,—

(क) खंड (क) में, "जो दो हजार रुपए से कम न होगा" शब्दों के स्थान पर, "जो पचास हजार रुपए या अधिहृत ओषधियों के मूल्य के तीन गुना से, इनमें से जो भी अधिक हो, कम का न होगा" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) खंड (ख) में, "पांच हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर, उन दोनों स्थानों पर जहां वे आए हैं, "एक लाख रुपए या अधिहृत ओषधियों के मूल्य के तीन गुना, इनमें से जो भी अधिक हो" शब्द रखे जाएंगे;

(ग) खंड (ग) में, "जो छह मास तक का हो सकेगा और जुर्माने से जो एक हजार रुपए से कम न होगा, दंडनीय होगा," शब्दों के स्थान पर "जो एक वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से जो बीस हजार रुपए या अधिहृत ओषधियों के मूल्य के तीन गुना, इनमें से जो भी अधिक हो, से कम न होगा, दंडनीय होगा" शब्द रखे जाएंगे।

नई धारा 33टक और धारा 33टख का अंतः स्थापन।

17. मूल अधिनियम की धारा 33ट के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

विनिर्माता, आदि के नाम का प्रकटन।

"33टक. ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो किसी आयुर्वेदिक, सिद्ध या यूनानी ओषधि का विनिर्माता या उसके वितरण के लिए उसका अभिकर्ता नहीं है, यदि उससे ऐसी अपेक्षा की जाए, निरीक्षक को उस व्यक्ति का नाम, पता और अन्य विशिष्टियां प्रकट करेगा जिससे उसने वह आयुर्वेदिक, सिद्ध या यूनानी ओषधि अर्जित की है।

अभिलेखों का रखा जाना और सूचना का दिया जाना।

33टख. ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो धारा 33ङङग के खंड (ग) के अधीन अनुज्ञप्तिधारी है, ऐसे अभिलेख, रजिस्टर और अन्य दस्तावेज रखेगा और उन्हें बनाए रखेगा, जो विहित किए जाएं और इस अधिनियम के अधीन किसी शक्ति का प्रयोग करने वाले या किसी कृत्य का निर्वहन करने वाले किसी अधिकारी या प्राधिकारी को ऐसी सूचना देगा जिसकी इस अधिनियम के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा अपेक्षा की जाए।"।

धारा 33ढ़ का संशोधन।

18. मूल अधिनियम की धारा 33ढ की उपधारा (2) में,—

(i) खंड (छछक) के अंत में आए शब्द "और" का लोप किया जाएगा;

(ii) खंड (छछक) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(छछख) धारा 33टख के अधीन रखे जाने वाले और अनुरक्षित किए जाने वाले अभिलेख, रजिस्टर और अन्य दस्तावेज विहित कर सकेंगे; और"।

धारा 36क का संशोधन।

19. मूल अधिनियम की धारा 36क में, "इस अधिनियम के अधीन ऐसे सभी अपराधों का" शब्दों के स्थान पर, "इस अधिनियम के अधीन ऐसे सभी अपराधों का (धारा 36कख के अधीन विशेष न्यायालय या सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय अपराधों को छोड़कर)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ।

नई धारा 36कख, धारा 36कग, धारा 36कघ और धारा 36कङ का अंतःस्थापन ।

20. मूल अधिनियम की धारा 36क के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

विशेष न्यायालय ।

'36कख. (1) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से अपमिश्रित ओषधियों या नकली ओषधियों से संबंधित और धारा 13 के खंड (क) और खंड (ख), धारा 22 की उपधारा (3), धारा 27 के खंड (क) और खंड (ग), धारा 28, धारा 28क, धारा 28ख और धारा 30 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन दंडनीय अपराधों और अपमिश्रित ओषधियों या नकली ओषधियों से संबंधित अन्य अपराधों के विचारण के लिए, अधिसूचना द्वारा एक या एक से अधिक सेशन न्यायालयों को ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों या ऐसे मामले या मामलों के वर्ग या समूह के लिए विशेष न्यायालय या विशेष न्यायालयों के रूप में अभिहित करेगी जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा में, "उच्च न्यायालय" से उस राज्य का उच्च न्यायालय अभिप्रेत है जिसमें विशेष न्यायालय के रूप में अभिहित सेशन न्यायालय ऐसे अभिहित किए जाने के ठीक पहले कार्य कर रहा था ।

(2) इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का विचारण करते समय, विशेष न्यायालय उपधारा (1) में निर्दिष्ट अपराध से भिन्न ऐसे किसी अपराध का विचारण भी करेगा जिससे अभियुक्त दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अधीन उसी विचारण में आरोपित किया जाए । 1974 का 2

कतिपय दशाओं में अपराधों का संज्ञेय और अजमानतीय होना ।

36कग. (1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी,— 1974 का 2

(क) अपमिश्रित या नकली ओषधियों से संबंधित और धारा 13 की उपधारा (1) के खंड (क) और खंड (ग), धारा 13 की उपधारा (2) के खण्ड (क), धारा 22 की उपधारा (3), धारा 27 के खंड (क) और खंड (ग), धारा 28, धारा 28क, धारा 28ख और धारा 30 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन दंडनीय प्रत्येक अपराध तथा अपमिश्रित ओषधियों या नकली ओषधियों से संबंधित अन्य अपराध संज्ञेय होंगे ;

(ख) धारा 13 की उपधारा (1) के खंड (क) और खंड (ग), धारा 13 की उपधारा (2) के खंड (क), धारा 22 की उपधारा (3), धारा 27 के खंड (क) और खंड (ग), धारा 28, धारा 28क, धारा 28ख और धारा 30 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन दंडनीय अपराध तथा अपमिश्रित ओषधियों या नकली ओषधियों से संबंधित अन्य अपराधों के किसी अभियुक्त व्यक्ति को जमानत पर या उसके स्वयं के बंधपत्र पर तभी छोड़ा जाएगा जब—

(i) लोक अभियोजक को ऐसे छोड़े जाने के आवेदन का विरोध करने का अवसर दे दिया गया हो ; और

(ii) जहां लोक अभियोजक आवेदन का विरोध करता है और न्यायालय का यह समाधान हो गया है कि यह विश्वास करने के युक्तियुक्त कारण हैं कि वह ऐसे अपराध का दोषी नहीं है और जमानत पर रहने के दौरान उसके द्वारा कोई अपराध कारित किए जाने की संभावना नहीं है:

परन्तु ऐसा व्यक्ति जो सोलह वर्ष की आयु से कम का है या स्त्री है या बीमार या अशक्त व्यक्ति है, यदि विशेष न्यायालय ऐसा निदेश दे, जमानत पर छोड़ा जा सकेगा ।

1974 का 2 (2) जमानत मंजूर करने के लिए उपधारा (1) के खंड (ख) में विनिर्दिष्ट परिसीमा, जमानत मंजूर किए जाने की दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन परिसीमाओं के अतिरिक्त है ।

1974 का 2 (3) इस धारा की कोई बात दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 439 के अधीन जमानत के संबंध में उच्च न्यायालय की विशेष शक्तियों को प्रभावित करने वाली नहीं समझी जाएगी और उच्च न्यायालय उस धारा की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन शक्ति सहित ऐसी शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा मानो उस धारा में "मजिस्ट्रेट" के प्रति निर्देश के अन्तर्गत धारा 36कख के अधीन अभिहित " विशेष न्यायालय" के प्रति निर्देश भी है।

विशेष न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 का लागू होना ।

1974 का 2 36कघ. (1) इस अधिनियम के अधीन जैसा अन्यथा उपबंधित है, उसके सिवाय दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबंध (जमानत या बंधपत्रों के बारे में उपबंधों सहित) विशेष न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों को लागू होंगे और उक्त उपबंधों के प्रयोजनों के लिए, विशेष न्यायालय सेशन न्यायालय समझा जाएगा तथा विशेष न्यायालय के समक्ष अभियोजन का संचालन करने वाला व्यक्ति लोक अभियोजक समझा जाएगा:

परन्तु केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार किसी मामले या मामलों के किसी वर्ग या समूह के लिए विशेष लोक अभियोजक भी नियुक्त कर सकेगी ।

(2) कोई व्यक्ति इस धारा के अधीन लोक अभियोजक या विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए तभी अर्हित होगा जब वह संघ या राज्य के अधीन अधिवक्ता के रूप में कम से कम सात वर्ष तक विधि व्यवसाय में रहा है जिसके लिए विधि का विशेष ज्ञान अपेक्षित है।

1974 का 2 (3) इस धारा के अधीन लोक अभियोजक या विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 2 के खंड (प) के अर्थान्तर्गत लोक अभियोजक समझा जाएगा और उस संहिता के उपबंध तदनुसार प्रभावी होंगे ।

अपील और पुनरीक्षण।

1974 का 2 36कङ. उच्च न्यायालय, जहां तक लागू हो, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अध्याय 29 या अध्याय 30 द्वारा उच्च न्यायालय को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग इस प्रकार कर सकेगा जैसे कि उच्च न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर कोई विशेष न्यायालय उच्च न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर मामलों का विचारण करने वाला एक सेशन न्यायालय हो ।'।